Date - 11 May 2022

गोपाल कृष्ण गोखले

- भारत के प्रधान मंत्री ने गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।
- गोपाल कृष्ण गोखले एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद् थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया।

गोपाल कृष्ण गोखले:

जन्म:

- उनका जन्म 9 मई, 1866 को वर्तमान महाराष्ट्र (तब बॉम्बे प्रेसीडेंसी का हिस्सा) के कोटलुक गांव में हुआ था।

विचारधारा:

- गोखले ने तीन दशकों तक सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा के विस्तार और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में काम किया और प्रतिक्रियावादी या क्रांतिकारी तरीकों के इस्तेमाल को खारिज कर दिया।

औपनिवेशिक विधानमंडलों में भूमिका:

- 1899 और 1902 के बीच वे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे और 1902 से 1915 तक उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेवा की।
- इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेवा करते हुए, गोखले ने 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका:

Yojna IAS

- वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में वर्ष 1889 में शामिल हुए थे।
- वे 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
- यह वह समय था जब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अन्य के नेतृत्व वाले 'सामान्य दल' और 'गरम दल' के बीच व्यापक मतभेद पैदा हो गए थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में ये दोनों गुट अलग हो गए।
- वैचारिक मतभेदों के बावजूद, वर्ष 1907 में, उन्होंने लाला लाजपत राय की रिहाई के लिए अभियान चलाया, जिन्हें अंग्रेजों ने म्यांमार की मांडले जेल में कैद कर दिया था।

संबंधित सोसायटी और अन्य कार्य:

- भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए वर्ष 1905 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की।
- वे महादेव गोविंद रानाडे द्वारा शुरू की गई 'सार्वजनिक सभा पत्रिका' से भी जुड़े थे।
- वर्ष 1908 में गोखले ने रानाडे अर्थशास्त्र संस्थान की स्थापना की।
- उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र 'द हितवाद' की शुरुआत की।

गांधी के गुरु के रूप में:

- एक उदार राष्ट्रवादी के रूप में महात्मा गांधी उन्हें एक राजनीतिक गुरु मानते थे।
- महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को समर्पित गुजराती भाषा में एक पुस्तक 'धर्मात्मा गोखले' लिखी।

Yojna IAS

MPLADS योजना

- हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS) के नियमों में संशोधन किया है, जहां मिलने वाले ब्याज को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।
- अब तक इस फंड पर मिलने वाले ब्याज को एमपीलैड्स खाते में जोड़ा जाता था और इसे विकास परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था।

भारत की संचित निधि:

- संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अनुसार, सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपत्ति शुल्क, अन्य कर और शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋण के संग्रह से प्राप्त धन, इन सभी को संचित निधि में जमा किया जाता है।
- इसी तरह सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना, ट्रेजरी बिल (आंतरिक ऋण) और विदेशी सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों (बाह्य ऋण) के माध्यम से लिए गए सभी ऋणों को इस कोष में जमा किया जाता है।

- इस निधि से सभी सरकारी व्यय की पूर्ति की जाती है (असाधारण मदों को छोड़कर जो लोक लेखा निधि या लोक निधि से संबंधित हैं) और संसद की अनुमति के बिना निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है।

एमपीलैड योजना:

- एमपीलैड एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी।

उद्देश्य:

- अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि के क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर जोर देते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने के लिए सांसदों को सक्षम बनाना।
- जून 2016 से एमपीलैड फंड का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान, सुगम भारत अभियान, वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण और सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि योजनाओं के कार्यान्वयन में किया गया है।

कार्यान्वयन:

- एमपीलैड्स की प्रक्रिया संसद सदस्यों द्वारा नोडल जिला प्राधिकरण को कार्यों की सिफारिश करने के साथ शुरू होती है।
- संबंधित नोडल जिला संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों और निष्पादित कार्यों और योजना के तहत खर्च की गई राशि के विवरण के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

कार्य विधि:

- एमपीलैड्स के तहत हर साल 5 करोड़ रुपये की दो किस्तों में सांसदों (सांसदों) को 5 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाती है। एमपीलैड्स के तहत आवंटित राशि व्यपगत नहीं होती है।
- लोकसभा सांसदों को इस राशि को अपने लोकसभा क्षेत्रों में जिला प्राधिकरण परियोजनाओं में खर्च करने की सिफारिश की जाती है, जबकि इस राशि का उपयोग राज्य सभा संसद द्वारा उस क्षेत्र में किया जाता है जहां से वे चुने जाते हैं।
- राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्य करने की सिफारिश कर सकते हैं।

Yojna IAS

PMJJBY, PMSBY & APY योजना

- देश के असंगठित वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए सरकार ने दो बीमा योजनाएं – पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई शुरू की और वृद्धावस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने एपीवाई शुरू की।
- इन योजनाओं का उद्घाटन मई 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में किया गया था।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना:

योजना:

- यह एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जिसे हर साल नवीनीकृत किया जाता है और दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है।

योग्यता:

- यह योजना 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के उन लोगों के लिए है, जिनका किसी भी बैंक में खाता है, जहां से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से प्रीमियम लिया जाता है।

फायदा:

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है और आकस्मिक मृत्यु के मामले में बीमा राशि का भुगतान किया जाता है।

उपलब्धियां:

- वर्तमान में इस योजना के तहत 37 करोड़ से अधिक नामांकन किए गए हैं और 97,227 दावों के लिए कुल 1,930 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना:

योजना:

- यह एक साल की जीवन बीमा योजना है जिसे हर साल नवीनीकृत किया जाता है और किसी भी कारण से मृत्यु के खिलाफ बीमा कवरेज प्रदान करता है।

योग्यता:

Yojna IAS

- प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास बैंक खाता है जिससे ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से प्रीमियम एकत्र किया जा सकता है।

फायदा:

- इस योजना के तहत 330 रुपये प्रति वर्ष (प्रति दिन 1 रुपये से कम) के प्रीमियम का भुगतान करने पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा मिलता है। इस योजना में दुर्घटना के साथ-साथ सामान्य मृत्यु पर भी बीमा राशि मिलती है।

उपलब्धि:

- इस योजना के तहत संचयी नामांकन 76 करोड़ से अधिक है और 5,76,121 दावों के लिए 11,522 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

अटल पेंशन योजना:

पृष्ठभूमि:

- यह योजना मई 2015 में सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- यह असंगठित क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की एक पहल है।

प्रशासित:

- योजना एनपीएस के माध्यम से 'पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण' द्वारा प्रशासित है।

पात्रता:

- भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18-40 वर्ष के बीच है, इस योजना में शामिल हो सकता है। इस योजना में लेट जॉइनर की अंशदान राशि अधिक तथा अर्ली जॉइनर की अंशदान राशि कम होती है।

फायदा:

- यह अंशदान के अनुसार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ग्राहकों को 1000 से 5000 रुपये की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान करता है।

केंद्र सरकार द्वारा योगदान:

Yojna IAS

- न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी, अर्थात यदि योगदान के आधार पर संचित निधि निवेश पर अनुमानित रिटर्न से कम कमाती है और न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है, तो केंद्र सरकार ऐसी अपर्याप्तता को निधि देगी।
- वैकल्पिक रूप से, यदि निवेश पर प्रतिफल अधिक है, तो अभिदाताओं को बढ़ा हुआ पेंशन लाभ मिलेगा।

भुगतान आवृत्ति:

- अभिदाता अटल पेंशन योजना में मासिक/तिमाही/छमाही आधार पर अंशदान कर सकते हैं।

उपलब्धि:

- अब तक 4 करोड़ से अधिक लोगों ने इस योजना की सदस्यता ली है।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए):

- यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।
- यह वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

योजनाओं का महत्व:

- ये तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित हैं जो मानव जीवन को अप्रत्याशित जोखिमों/नुकसानों और वित्तीय अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं।
- पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई लोगों को कम लागत वाले जीवन/दुर्घटना बीमा कवर तक पहुंच प्रदान करते हैं, जबकि एपीवाई मौजूदा बचत को बढ़ाकर वृद्धावस्था में नियमित पेंशन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।
- पिछले सात वर्षों में इन योजनाओं से लाभान्वित और नामांकित लोगों की संख्या इसकी सफलता का प्रमाण है।
- ये कम लागत वाली बीमा योजनाएं और गारंटीशुदा पेंशन योजनाएं सुनिश्चित करती हैं कि वित्तीय सुरक्षा जो पहले कुछ चुनिंदा लोगों के लिए उपलब्ध थी, अब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए।

Swadeep Kumar

Yojna IAS